रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240255
CG-DL-E-14112022-240255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5061] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
No. 5061] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5280(अ).— निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम), 1963, (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में पूर्व वाणिज्य मंत्रालय में भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (II) में दिनांक 02 जुलाई, 1977 का संख्यांक का.आ. 2192 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले की गई अथवा लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात निरीक्षण एजेंसियों को इसके निर्यात से पहले साधारण नमक के निरीक्षण के लिए निरीक्षण एजेंसियों के रूप में मान्यता देती है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना में, "साधारण नमक" का अर्थ समुद्री-लवण, बोरवेल-लवण अथवा झील-लवण से कच्चे या परिष्कृत रूप में प्राप्त नमक है।

[फा. सं. के-16012/10/2022-निर्यात निरीक्षण]

एम. बालाजी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल आदेश का.आ. 2192 द्वारा दिनांक 02.07.1977 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5280(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection Act), 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce, published in the Gazette of India Part II, section 3 Sub-section (ii), vide number S.O. 2192 dated 2nd July, 1977, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby recognizes Export Inspection Agencies as Inspection Agencies for inspection of common salt prior to its export.

Explanation.- In this notification, "common salt" means salt obtained from sea-brine, borewell-brine or lake-brine either in the crude or refined form.

[F. No. K- 16012/10/2022- Export Inspection]

M. BALAJI, Jt. Secy.

Foot Note : The principle order was published vide S.O.2192 dated 02.07.1977

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5281(अ).—केंद्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के बाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व वाणिज्य मंत्रालय में भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (II) में दिनांक 2 जुलाई, 1977 के संख्यांक का.आ. 2190 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के आदेश में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त आदेश के अनुबंध में, खाद्य सामान्य नमक से संबंधित पैराग्राफ (क) में, "खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955" शब्दों और अंकों के लिए दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. के-16012/10/2022-निर्यात निरीक्षण]

एम. बालाजी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई, 1977 को का.आ. 2190 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5281(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government after consulting the Export Inspection Council hereby makes the following amendments to the Order of Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce, published in the Gazette of India Part II, Section 3 Sub-section (ii), vide number S.O. 2190, dated 2nd July, 1977, namely:-

In the Annexure to the said Order, in paragraph (a) relating to Edible common salt, for the words and figures "the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955" at both the places where they occur, the words, brackets and figures "the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011" shall be substituted.

[F. No. K- 16012/10/2022- Export Inspection]

M. BALAJI, Jt. Secy.

Foot Note: The principle notification was published in the Gazette of India, Part-II, Section-3 Sub-section (ii), vide number S.O. 2190, dated 2nd July, 1977.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.14 21:59:03 +05'30'